35/

संख्या /2014/16/IX/2010

प्रेषक,

डॉ उमाकान्त पंवार,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त
उत्तराखण्ड
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड़
देहरादून।

परिवहन एवं नागरिक उड्डयन अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 31 मार्च, 2014

विषय– परिवहन निगम के सुदृढ़ीकरण के लिए बसों के क्रय हेतु ऋण अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम के पत्र संख्या 126/एचक्यू/तकनीकी/नई बस/2013 दिनांक 06 दिसम्बर, 2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड परिवहन निगम के सुदृढ़ीकरण के लिए नई बसों के क्रय हेतु ₹ 10,00,00 हज़ार (रूपये दस करोड़ मात्र) की धनराशि को ऋण के रूप में नई बसों के क्रय के लिए निम्न शर्तो के साथ स्वीकृत कर व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) उक्त धनराशि कोषागार से आहरित कर प्रथमतः परिवहन निगम के पी0एल0ए0 में जमा की जायेगी तथा परिवहन निगम पी0एल0ए0 से ही सीधे चैक/ड्राफ्ट के माध्यम से धनराशि नई बसों के आपूर्तिकर्ता को उपलब्ध करायेंगे।

(ii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग दिनांक 31–3–2014 तक सुनिश्चित कर लिया जाय।

(iii) आहरित धनराशि उसी प्रयोजन के लिए व्यय की जायेगी जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है। उक्त धनराशि का किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि में से यदि कोई अंश अवशेष बचता है तो उसे शासन को वापस करना होगा। यदि धनराशि का उपयोग स्वीकृति के प्रयोजन के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के किया जाता है तब उक्त धनराशि को तत्काल उस समय के ब्याज सहित एकमुश्त शासन को वापस कर दिया जायेगा।

(iv) नई बसों का क्रय अधिकृत फर्मो से ही किया जायेगा। बसों के क्रय की सूचना राज्य सरकार को मय बीजकों के साथ देना अनिवार्य होगा।

(v) ऋण की अवधि 10 वर्ष के लिए होगी जिसमें दो वर्षो की अवधि को ऋण अदायगी से मुक्त रखा जायेगा तथा इस अवधि में ब्याज देय नहीं होगा एवं उक्त ऋण पर अनन्तिम रूप से 9.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देय होगा। ऋण की अदायगी तीसरे वर्ष से नवें वर्ष तक ₹ 3.00 करोड़ प्रतिवर्ष एवं अन्तिम वर्ष ₹4.00 करोड़ तथा ब्याज की धनराशि प्रतिवर्ष देय होगी। जिसकी अदायगी त्रैमासिक आधार पर की जायेगी। इसके वर्ष के मूलधन की वापसी एवं शेष ब्याज को एकमुश्त जमा किया जायेगा।

क्रमशः...2...

(vi) उक्त ऋण से सम्बन्धित लेखा–जोखा परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा भी रखा जायेगा तथा ब्याज सहित ऋण के प्रतिदान की समीक्षा भी उनके द्वारा की जायेगी।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या 24 के लेखाशीर्षक 7055–सड़क परिवहन के लिए कर्ज–00–आयोजनागत–101–सड़क परिवहन निगम को स्थायी ऋण–04–बसों के क्रय हेतु ऋण–30–निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–878/XXVII(2)/2014 दिनांक 28 मार्च, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(डॉ उमाकान्त पंवार)
सचिव।

संख्या 52 (1)/2014/16/IX/2010 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– महालेखाकार, आडिट, वैभव पैलेस–ब–1/105 इन्द्रानगर, देहरादून।
3– प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून।
4– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6– आहरण वितरण अधिकारी, परिवहन आयुक्त कार्यालय, देहरादून।
7– वित्त नियत्रंक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम मुख्यालय, देहरादून।
8– बजट राजकोषीय संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
10– वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
11– नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
12– गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(जीवन सिंह तिलारा)
उप सचिव।

Budgat Nigam.doc